न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 131/2022/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांकः 07.06.2022
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

विनोद गोद पुत्र रामचरण जाति लुहार निवासी गुढादेवजी, तहसील नैनवा, जिला बून्दी

...अपीलांट

बनाम

1. प्रहलाद आ0 मांगीलाल जाति गुर्जर
2. भैरूलाल आ0 भोजराज जाति गुर्जर
3. मोरपाल आ0 मांगीलाल जाति गुर्जर
   निवासीगण गुढादेवजी, तहसील नैनवा, जिला बून्दी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैनवा, जिला बून्दी

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक –अपीलांट
श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत अभिभाषक –रेस्पोडेन्ट्स
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र. 4

::निर्णय::

दिनांक 23.07.2024

अपीलांट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 194/प्रा.न./20 बउनवान विनोद बनाम प्रहलाद आदि में पारित निर्णय दिनांक 12.11.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड नैनवा द्वारा प्रार्थी विनोद (अपीलांट) द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत 'पत्थर गढ़ी करने' अन्तर्गत धारा 136, 128, 111 एलआरएक्ट में पेश किया गया। उक्त प्रार्थना–पत्र के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत कैंप कोर्ट गुढादेवजी में तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दिनांक 17.06.2020 को गुढादेवजी के आराजी खसरा संख्या 1092 रकबा 8 बीघा, खसरा संख्या 1770/1092 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा पर खातेदार विनोद पि0मु0 रामकरण लुहार एव उपस्थित ग्रामीणों की मौजूदगी में गैर मुस्तकिल मुकाम खसरा संख्या 966 गैर मुमकिन चाह रकबा 6 बिस्वा व खसरा संख्या 1085 गैर मुमकिन चाह रकबा 9 बिस्वा से जरीब चलाकर दोनों खसरा नम्बर 1092 व 1790/1092 का सीमाज्ञान किया गया व खसरा नम्बरान की चतुर्थ सीमाओं के बारे में बताया तथा मौके पर चतुर्थ सीमाओं के निशांत करवाये गए। तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रार्थी (अपीलांट) निर्णय दिनांक 12.11.2021 द्वारा खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा अपीलांट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही तहसीलदार नैनवा की रिपोर्ट दिनांक 17.06.2020 को आधार मानकर प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर गौर नहीं किया गया कि तहसीलदार नैनवा की रिपोर्ट 17.06.2020 की है, जबकि अपीलांट का प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.11.2020 का है। अपीलांट को कैंप कोर्ट का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ तथा गुणावुगण के अवलोकन किया बिना ही लोक अदालत कैंप में बिना अपीलांट की उपस्थिति एवं सुनवायी प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया, जो त्रुटिपूर्ण है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय से सहायता चाही थी कि अपीलांट की आराजी का नापतोल करवाकर उसके चारों और सीमाबन्दी व पत्थगढ़ी करवायी जावे। किंतु रेस्पोडेन्ट के द्वारा इसका विरोध नहीं करने के बावजूद प्रार्थना–पत्र बिना किसी आधार के खारिज कर दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खारिज किया जाने का अनुरोध किया।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना तथा बिना गुणावुगण के अवलोकन किया ही तहसीलदार नैनवा की रिपोर्ट दिनांक 17.06.2020 को आधार मानकर प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है, जो न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर गौर नहीं किया गया कि तहसीलदार नैनवा की रिपोर्ट 17.06.2020 की है, जबकि अपीलांट का प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.11.2020 का है। अपीलांट को कैंप कोर्ट का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ रेस्पोडेन्ट के द्वारा इसका विरोध नहीं करने के बावजूद प्रार्थना–पत्र बिना किसी आधार के खारिज कर दिया गया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

4 अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2021 पत्रावली में उपलब्ध रिकोर्ड एवं तहसीलदार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ही पारित किया गया है, जो न्यायोचित है। अतः अपील खारिज करने का अनुरोध किया गया।

5 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एंव रेस्पो0 पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा के यहां अपीलांट विनोद द्वारा प्रार्थना–पत्र बाबत 'पत्थर गढ़ी करने' अन्तर्गत धारा 136, 128, 111 एलआरएक्ट में पेश किया गया। जिसके अनुसार वर्णित किया गया है कि ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवा में भूमि खसरा संख्या 1092 रकबा 8 बीघा, भूमि खसरा संख्या 1770/1092 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा प्रार्थी के खातेदारी व आधिपत्य की भूमि है, जिसका दिनांक 17.06.2020 को सीमाज्ञान हो चुका है। अप्रार्थीगण प्रहलाद, भैरूलाल एवं मोरपाल को उपरोक्त भूमि पर कोई हक प्राप्त नहीं है। प्रार्थी उक्त भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाना तथा भूमि का नापचौप करवाकर तारबंदी डोलबंदी करवाना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा की पत्रवाली के अवलोकन से प्रकट होता है कि कार्यालय नायब तहसीलदार देई के आदेश क्रमांक 164/166/एलआर/2020 के आदेशानुसार मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट 'मौका–पर्चा सीमाज्ञान वाके ग्राम गुढादेवजी'' हेतु दिनांक 17.06.2020 ग्राम गुढादेवजी के आराजी खसरा संख्या 1092 रकबा 8 बीघा, खसरा संख्या

1770/1092 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा कुल 2 किता रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा का सीमाज्ञान करने हेतु मोके पर पहुंचकर खातेदार विनोद (अपीलांट) पि.मु. रामचरण लुहार व उपस्थित ग्रामीणों की मौजुदगी में गैर मुस्तकिल मुकाम खसरा संख्या 966, गैर मुमकिन चाह रकबा 6 बिस्वा व खसरा संख्या 1085 गैर मुमकिन चाह रकबा 9 बिस्वा से जरीब चलाकर दोनों खसरा संख्या 1092 व 1770/1092 का सीमाज्ञान किया गया व खसरा नम्बरान की चतुर्थ सीमाओं के बारे में बताया गया तथा मौके पर चतुर्थ सीमाओं पर निशानात करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा को उक्त पटवारी हल्का रिपोर्ट तहसीलदार नैनवा द्वारा पत्रांक 2021/26 दिनांक 12.11.2021 मूल ही प्रेषित की गई। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिपोर्ट के आधार पर ही जेरअपील निर्णय पारित किया है साथ ही अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील के साथ ऐसे कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किये गये है, जिससे अपीलांट के कथन की पुष्टि होती हो। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तथ्यों का समुचित परीक्षण कर उपलब्ध रिकोर्ड, दस्तावेजों के आधार पर जेरअपील निर्णय दिनांक 12.11.2021 पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

6 निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति. संभागीय आयुक्त
कोटा